Fourteenth Loksabha

Session : 4
Date : 21-04-2005

Participants : Bishnoi Shri Jaswant Singh

Title: Need to amend the Wildlife Act to check poaching.

श्री जसवंत सिंह बिश्नोई (जोधपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधान मंत्री जी का ध्यान एक अत्यंत गम्भीर बात की ओर आकर्िात करना चाहता हूं। हमारे देश में जो वाइल्ड लाइफ प्रोटैक्शन एक्ट है, वह बहुत पुराना है और आज इसमें संशोधन की आवश्यकता है। क्योंकि वर्तमान में हमारे देश तथा राजस्थान में वन्य प्राणी बहुत कम बचे हैं। विशेा रूप से राजस्थान की बिश्नोई बैल्ट में आज वन्य प्राणियों की बहुत कमी है, चूंकि वहां इनके अवैध शिकार की घटनाएं बहुत बढ़ गई हैं। बात यहां तक बढ़ गई हैं कि अब सेंचुरीज में भी शेर सुरक्षित नहीं रह गये हैं। इसलिए मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि वन्य प्राणियों से संबंधित केसिज का ट्रायल कम से कम सैशन जज के यहां हो और ऐसे केसिज को ज्यादा हीनियस ऑफेन्स माना जाए, जिनमें जानवरों की खाल और हड्डियों की तस्करी की जा रही हो। ऐसे केसिज में फांसी की सजा का प्रावधान किया जाए। यदि वन्य प्राणी इस धरती पर सुरक्षित नहीं रहेंगे तो

*Not Recorded.

मनुय भी इस धरती पर सुरक्षित नहीं रहेंगे। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि उपरोक्त कानून में संशोधन की आवश्यकता है, चूंकि यह बहुत पुराना कानून है। पुराने समय में धरती पर बहुत सारे वन्य प्राणी थे, लेकिन आज इस धरती पर वन्य प्राणी बहुत कम बचे हैं। इसलिए मैं सरकार से वाइल्ड लाइफ प्रोटैक्शन एक्ट मे शीघ्र ही संशोधन की मांग करता हूं।

MR. SPEAKER: I commend you for raising an important issue.